

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 35]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 28 अगस्त 2020—भाद्रपद 6, शक 1942

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अभिषेक वैष्णव आत्मज स्व. पुरुषोत्तम दास वैष्णव, उम्र 39 वर्ष, जाति वैष्णव, निवासी-क्वा. नं. एल. आई. जी. 51, पंडित रविशंकर शुक्ल नगर, कोरबा, तहसील व जिला कोरबा (छ. ग.) का हूँ. यह कि मेरा व मेरे पिता का वास्तविक नाम अभिषेक वैष्णव आ. स्व. पुरुषोत्तम दास वैष्णव है जो कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व अन्य दस्तावेजों में दर्ज है तथा मेरी जन्म तिथि 25-01-1983 है. मेरे पेन कार्ड में मेरा नाम आशीम खान आ. हुसैन खान दर्ज है जो त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने वास्तविक नाम को मेरे पेनकार्ड व समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ.

अतः अब मुझे अभिषेक वैष्णव आत्मज स्व. पुरुषोत्तम दास वैष्णव के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

आशीम खान
पिता-श्री हुसैन खान
निवासी-क्वा. नं.-एल. आई. जी. 51,
पंडित रविशंकर शुक्ल नगर, कोरबा,
तह. व जिला-कोरबा (छ. ग.)

नया नाम

अभिषेक वैष्णव
पिता-स्व. पुरुषोत्तम दास वैष्णव
निवासी-क्वा. नं.- एल. आई. जी. 51,
पंडित रविशंकर शुक्ल नगर, कोरबा
तह. व जिला-कोरबा (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, पी. लक्ष्मणा राव (P. Lakshmana Rao) आत्मज पी. राजुलू (P. Rajulu), उम्र 38 वर्ष, निवासी-मार्फत हेयर कटिंग, मकान नं.-119, मदर टेरेसा नगर, कैम्प-1, वार्ड नं.-20, पोस्ट-सुपेला, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, आधार कार्ड में मेरा नाम पोतनपल्ली लक्ष्मणा राव (Pothanapalli Lakshmana Rao) आत्मज पी. राजुलू (P. Rajulu) दर्ज है, मेरे बच्चों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में पी. लक्ष्मण राव (P. Laxman Rao) दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है। मैंने अपना नाम परिवर्तित कर सही नाम पी. लक्ष्मणा राव (P. Lakshmana Rao) आत्मज पी. राजुलू (P. Rajulu) रख लिया हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब मुझे पी. लक्ष्मणा राव (P. Lakshmana Rao) आत्मज श्री पी. राजुलू (Shri P. Rajulu) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

पोतनपल्ली लक्ष्मणा राव
(Pothanapalli Lakshmana Rao)
पी. लक्ष्मण राव
(P. Laxman Rao)
पिता-श्री पी. राजुलू
(S/o-Shri P. Rajulu)
निवासी-मार्फत हेयर कटिंग,
मकान नं.-119, मदर टेरेसा नगर,
कैम्प-1, वार्ड नं.-20,
पोस्ट-सुपेला, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

पी. लक्ष्मणा राव
(P. Lakshmana Rao)
पिता-श्री पी. राजुलू
(S/o-Shri P. Rajulu)
निवासी-मार्फत हेयर कटिंग,
मकान नं.-119, मदर टेरेसा नगर,
कैम्प-1, वार्ड नं.-20,
पोस्ट-सुपेला, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, ALOK GUPTA आत्मज SHRI KESHAV DEV GUPTA, उम्र 57 वर्ष, स्थाई पता-Flat no.-09 E-10 A, Millenium apartment, Sec-61, NOIDA, G. B. NAGAR वर्तमान निवासी-Flat no.A-909, Shrishti's Pallazo, Avanti Vihar, Raipur, Tahsil&District Raipur (C. G.) का हूँ। यह कि मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम Aloke Gupta दर्ज है, जिसकी स्पेलिंग (वर्तनी) त्रुटिपूर्ण है मैंने अपना नाम परिवर्तित कर वास्तविक नाम ALOK GUPTA रख लिया हूँ। मेरा परिवर्तित यह वास्तविक नाम मेरे सर्विस रिकार्ड व समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब मुझे ALOK GUPTA आत्मज SHRI KESHAV DEV GUPTA के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

ALOK GUPTA
पिता-SHRI KESHAV DEV GUPTA
निवासी-Flat no.-09 E-10 A,
Millenium apartment, Sec-61,
NOIDA G. B. NAGAR
वर्तमान निवासी-Flat no.A-909,
Shrishti's Pallazo,
Avanti Vihar, Raipur,
Tah.&Dist. Raipur (C. G.)

नया नाम

ALOK GUPTA
पिता-SHRI KESHAV DEV GUPTA
निवासी-Flat no.-09 E-10 A,
Millenium apartment, Sec-61,
NOIDA G. B. NAGAR
वर्तमान निवासी-Flat no.A-909,
Shrishti's Pallazo,
Avanti Vihar, Raipur,
Tah.&Dist. Raipur (C. G.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मोहम्मद कैस खान, आत्मज अब्दुल सत्तार खान, उम्र 38 वर्ष, निवासी-वार्ड नंबर-23, बिरला ओपन प्री स्कूल के पीछे, सहदेव नगर, राजनांदगांव, तहसील व जिला राजनांदगांव (छ. ग.) का हूँ। यह कि मेरे कक्षा दसवीं के शैक्षणिक प्रमाण पत्र में मेरा नाम Mohammad Kaish Momin Pinjara आत्मज Abdul Sattar Momin Pinjara तथा स्नातक व स्नातकोत्तर के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में Mohammad Kaish Momin आत्मज Abdul Sattar, Mohammad Kaish आ. Abdul Sattar दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है, जबकि मेरा वास्तविक नाम मोहम्मद कैस खान आ. अब्दुल सत्तार खान (Mohammad Kais Khan S/o Abdul Sattar Khan) है। मैं अपने नाम को परिवर्तित कर, मेरे समस्त शासकीय अर्द्धशासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों व शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में वास्तविक नाम दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब मुझे मोहम्मद कैस खान, (Mohammad Kais Khan) आत्मज अब्दुल सत्तार खान (Abdul Sattar Khan) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम	नया नाम
Mohammad Kaish Momin Pinjara, Mohammad Kaish Momin, Mohammad Kaish पिता- Abdul Sattar Momin Pinjara, Abdul Sattar, Abdul Sattar निवासी-वार्ड नंबर-23, बिरला ओपन प्री स्कूल के पीछे, सहदेव नगर, राजनांदगांव, तह. व जिला-राजनांदगांव (छ. ग.)	मोहम्मद कैस खान Mohammad Kais Khan पिता- अब्दुल सत्तार खान (S/o -Abdul Sattar Khan) निवासी-वार्ड नंबर-23, बिरला ओपन प्री स्कूल के पीछे, सहदेव नगर, राजनांदगांव, तह. व जिला-राजनांदगांव (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, नईमा खातून ध. प. साबिर अली, उम्र 47 वर्ष, निवासी-एल. आई. जी. 1-3004, वार्ड नं.-16, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, औ. क्षेत्र, भिलाई, तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.) की हूँ। यह कि मेरे जन्म प्रमाण पत्र, NEEMA आत्मजा अली मोहम्मद (ALI MOHAMMED) शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में कु. नेमा आत्मजा अली मोहम्मद तथा पैन कार्ड में NAIMA KHATOON आत्मजा ALI MOHAMMAD दर्ज है जिसकी स्पेलिंग (वर्तनी) त्रुटिपूर्ण है मेरा विवाह साबिर अली के साथ सपन्न हुआ। विवाह पश्चात् मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम नईमा खातून रख ली हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ।

अतः अब मुझे नईमा खातून (NAIMA KHATUN) ध. प. साबिर अली (SABIR ALI) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम	नया नाम
कु. नेमा, NEEMA पिता-अली मोहम्मद D/o- ALI MOHAMMED, ALI MOHAMMAD निवासी-एल. आई. जी. 1-3004, वार्ड नं.-16, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, औ. क्षेत्र, भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	नईमा खातून (NAIMA KHATUN) पति-साबिर अली (W/o-SABIR ALI) निवासी-एल. आई. जी. 1-3004, वार्ड नं.-16, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, औ. क्षेत्र, भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, जी. एम. हाशमी आत्मज ए. जी. हाशमी, उम्र 66 वर्ष, निवासी-57/1, मैत्री नगर, रिसाली, भिलाई, सिविक सेंटर भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि मेरे आधार कार्ड, अधिवक्ता परिचय पत्र, पासपोर्ट CISF के सर्टिफिकेट में मेरा नाम गुलाम मोहियोद्दीन हाशमी (Gulam Mohiuddin Hashmi) आत्मज अब्दुल गनी हाशमी (Abdul Gani Hashmi) ए. गनी (A. Gani) तथा मेरे लॉ सर्टिफिकेट में मेरा नाम Gulam Mohiuddin दर्ज है, जो कि अपूर्ण है जबकि मेरे पिता का वास्तविक नाम A. G. Hashmi है। मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम, जी. एम. हाशमी G. M. Hashmi रख लिया हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब मुझे जी. एम. हाशमी (G. M. Hashmi) आत्मज ए. जी. हाशमी (A. G. Hashmi) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

गुलाम मोहियोद्दीन हाशमी
(Gulam Mohiuddin Hashmi)
गुलाम मोहियोद्दीन
(Gulam Mohiuddin)
पिता- अब्दुल गनी हाशमी
(S/o-Abdul Gani Hashmi)
ए. गनी (A. Gani)
अब्दुल गनी (Abdul Gani)
निवासी--57/1, मैत्री नगर,
रिसाली, भिलाई,
सिविक सेंटर, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

जी. एम. हाशमी
(G. M. Hashmi)
पिता- ए. जी. हाशमी
(S/o-A. G. Hashmi)
निवासी--57/1, मैत्री नगर,
रिसाली, भिलाई,
सिविक सेंटर, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, कौड़ा संतोष आत्मज श्री कौड़ा ईश्वर राव, उम्र 31 वर्ष, निवासी-क्वा. नं.-3-ए, सड़क नं.-19, सेक्टर-2, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि मेरा पूर्ण नाम कौड़ा संतोष (Koda Santosh) है जो कि मेरे आधार कार्ड, पैनकार्ड व कुछ शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों में दर्ज है किन्तु मेरे पिता के सर्विस रिकार्ड व मेरे कुछ शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों व दस्तावेजों में मेरा लघु नाम के. संतोष (K. Santosh) दर्ज है। मैं अपने पूर्ण नाम को मेरे पिता के सर्विस रिकार्ड, मेरे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब मुझे कौड़ा संतोष (Koda Santosh) आत्मज श्री कौड़ा ईश्वर राव (Koda Eswara Rao) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

के. संतोष
(K. Santosh)
पिता-श्री कौड़ा ईश्वर राव
(S/o-Shri Koda Eswara Rao)
निवासी-क्वा. नं.-3-ए,
सड़क नं.-19,
सेक्टर-2, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

कौड़ा संतोष
(Koda Santosh)
पिता-श्री कौड़ा ईश्वर राव
(S/o-Shri Koda Eswara Rao)
निवासी-क्वा. नं.-3-ए,
सड़क नं.-19,
सेक्टर-2, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, गोपाल राजेश आत्मज स्व. के. जी. पिल्लई, उम्र 51 वर्ष, निवासी-प्लॉट नं.-132, लक्ष्मी नगर, रिसाली भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि मेरे कुछ शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा लघु नाम जी. राजेश दर्ज है। मैंने अपना नाम परिवर्तित कर पूर्ण नाम गोपाल राजेश (Gopal Rajesh) रख लिया हूँ तथा मैं इसी नाम से जाना, पहचाना जाता हूँ। मेरा परिवर्तित यह पूर्ण नाम मेरे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय प्रमाण पत्रों, अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब मुझे गोपाल राजेश (GOPAL RAJESH) आत्मज स्व. के. जी. पिल्लई (Late-K. G. PILLAI) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम	नया नाम
जी. राजेश (G. RAJESH) पिता- स्व. के. जी. पिल्लई (S/o- LATE K. G. PILLAI) निवासी-प्लॉट नं.-132, लक्ष्मी नगर, रिसाली भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	गोपाल राजेश (GOPAL RAJESH) पिता- स्व. के. जी. पिल्लई (S/o- LATE K. G. PILLAI) निवासी-प्लॉट नं.-132, लक्ष्मी नगर, रिसाली भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, हेमन्त कुमार शर्मा आत्मज श्री गोविन्द प्रसाद शर्मा, उम्र 55 वर्ष, निवासी-सेक्टर-7, सड़क-28, मकान-2/ए भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूँ। मेरा पूर्ण नाम हेमन्त कुमार शर्मा आ. श्री गोविन्द प्रसाद शर्मा है, जो कि मेरे अन्य आवश्यक दस्तावेजों/अभिलेखों में दर्ज है, किन्तु मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम हेमन्त कुमार आ. श्री गोविन्द प्रसाद दर्ज है जो कि अपूर्ण है, मैं अपने नाम को परिवर्तित कर, पूर्ण नाम को मेरे सर्विस रिकार्ड में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब मुझे हेमन्त कुमार शर्मा (HEMANT KUMAR SHARMA) आत्मज श्री गोविन्द प्रसाद शर्मा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम	नया नाम
हेमन्त कुमार (HEMANT KUMAR) पिता-श्री गोविन्द प्रसाद निवासी-सेक्टर-7, सड़क-28, मकान-2/ए भिलाई नगर, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	हेमन्त कुमार शर्मा (HEMANT KUMAR SHARMA) पिता-श्री गोविन्द प्रसाद शर्मा निवासी-सेक्टर-7, सड़क-28, मकान-2/ए भिलाई नगर, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पंजीयक लोक न्यास कुरुद,
जिला-धमतरी (छ. ग.)

कुरुद, दिनांक 19 अगस्त 2020

प्रारूप क्र. 4

[देखे नियम 5 (1)]

[छ. ग. लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 5 (2) (1951 का 30) और छ. ग. लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5 (1) के द्वारा]

पंजीयक लोक न्यास, कुरुद जिला-धमतरी के समक्ष

क्रमांक/2199/अविअ/वा./2020.—आवेदक खेमुराम साहू पिता कृपाराम साहू ग्राम-जुगदेही, तहसील-कुरुद द्वारा रामेश्वर महादेव मंदिर समिति ग्राम-जुगदेही, तहसील-कुरुद, जिला-धमतरी को छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अंतर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिये एक आवेदन लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये किया है, एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन 2020 के दिनांक 22-09-2020 पर मेरे द्वारा न्यायालय के विचारण में लिया जाएगा।

अतः मैं पंजीयक लोक न्यास कुरुद जिला-धमतरी के लोक न्यासों का रजिस्ट्रार, अपने न्यायालय में दिनांक 22-09-2020 को उक्त अधिनियम की धारा-05 की उप-धारा (1) के द्वारा अपेक्षित जांच करने की प्रस्थापना करता हूँ।

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए उक्त न्यास या संपत्ति के मामले में हित रखने वाले किसी भी व्यक्ति को इस सूचना पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा वकील द्वारा या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा।

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

- | | | | |
|----|------------------------|----|--|
| 1. | लोक न्यास का नाम व पता | :- | रामेश्वर महादेव मंदिर समिति
पता-ग्राम जुगदेही, तहसील-कुरुद,
जिला-धमतरी |
| 2. | अचल संपत्ति | :- | ग्राम-जुगदेही/प. ह. नं. 11 तहसील-कुरुद स्थित ख. नं. 261, 556, 656,
653/826, 789 रकबा क्रमशः 1.78, 0.10, 4.57, 0.20, 0.37. |
| 3. | चल संपत्ति | :- | निरंक |

योगिता देवांगन
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
एवं पंजीयक.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 30 जून 2020

क्रमांक/परि./2020/1100.—कृषि एवं पशुपालन बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. बिलासपुर पं. क्र. 347 दिनांक 31-03-2016, विकास खण्ड बिल्हा जिला बिलासपुर (छ. ग.) को अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्य नहीं करने विगत वर्ष 2015-2016 से 2019-2020 तक का अंकेक्षण कराने बाबत अंकेक्षण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करने के कारण संस्था को परिसमापन में लाने हेतु छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओं सूचना पत्र क्रमांक/उपबि/परि./2020/252 दिनांक 03-02-2020 एवं पत्र क्रमांक/539 दिनांक 02-03-2020 को दिया गया था. संस्था द्वारा आज दिनांक तक उक्त संबंध में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया, इससे यह प्रतीत होता है संस्था उक्त कार्य कराने में विशेष रूचि नहीं ले रहे है, जिसके कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं मंजू महेन्द्र पाण्डेय उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26-10-2017 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियों जो मुझमें वैधित है का प्रयोग करते हुये कृषि एवं पशुपालन बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. बिलासपुर पं. क्र. 347 दिनांक 31-03-2016 विकास खंड बिल्हा जिला बिलासपुर छ. ग. को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत को परिसमापन में लाती हूँ तथा श्री नितिन घोरे सहकारिता विस्तार अधिकारी बिल्हा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करती हूँ.

मंजू महेन्द्र पाण्डेय
उप पंजीयक.